न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद
रोहतास, सासाराम

**सासाराम (मुफ.) थाना काण्ड सं. 158/2020**

मनोहर सिंह उर्फ मनोहर कुमार एवं एक अन्य
**बनाम**
बिहार सरकार
**धारा 438द.प्र.संहिता**

08.09.2020 आवेदकगण क्रमशः मनोहर सिंह उर्फ मनोहर कुमार एवं शशी सिंह उर्फ शशी कुमार की ओर से दिनांक 01.07.2020 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 438 द.प्र.संहिता पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदकगण मनोहर सिंह उर्फ मनोहर कुमार एवं शशी सिंह उर्फ शशी कुमार की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि इस वाद के सूचक द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत आरोपित करते हुये सासाराम (मुफ.) थाना काण्ड सं. 158/2020 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है जिसके कारण आवेदकगण को भय है कि उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और इस गिरफ्तारी के भय से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438द.प्र.संहिता में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद रोहतास सासाराम श्री रामेश्वर सिंह को दी गयी है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक राकेश कुमार सिंह, पु.नि.सह थानाध्यक्ष सासाराम के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 25.05.2020 को Quarantine centre का विधि व्यवस्था को देखने के लिए सशस्त्र बल एवं स.अ.नि. सुनील कुमार और अ.नि. जय नारायण ठाकुर को साथ लेकर निकला हुआ था। रामपुर म. वि. के Quarantine centre पर गुप्त रूप से समय करीब 15.20बजे जानकारी मिली कि दहियार गांव के सामने नहर किनारे विगन सिंह पिता धुरा सिंह, मनोहर सिंह पिता तिलेश्वर सिंह एवं शशी सिंह पिता विदुल सिंह तीनों सा. दहियार थाना सासाराम(मुफ.)जिला रोहतास बांस के कोठी के पास शराब के भट्ठी बनाते है और शराब बनाकर बेचते है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचक दहियार गांव के स्कूल के पास पहुंच कर पैदल छापामारी करने के लिए चले। करीब 700मीटर चलने के बाद नहर पर पहुंचा तो पुलिस को नहर के तरफ जातेदेख नहर के किनारे से लोग नहर के दूसरे तरफ भागने लगे जिसे पकड़ने के लिए स्थानीय चौकीदार और सिपाही ने पीछा किया लेकिन शराब बनाने वाले भागने में सफल हो गये। भागने के क्रम में स्थानीय चौकीदार और सब्जी खेत में काम करने वाले किसानों ने अपना नाम नहीं बतलाते हुए शराब का भट्ठी चलाने वाले का नाम विगन सिंह, मनोहर सिंह एवं शशी सिंह बतलाये। किसानों द्वारा बतलाया गया कि विगन सिंह, शशी सिंह और मनोहर सिंह तीनों ग्राम दहियार थाना सासाराम (मुफ) जिला रोहतास पुलिस को आते देख डर कर महादेवा गांव के तरफ भाग गये है। उत्तर तरफ का भट्ठी विगन सिंह, बीच वाला भट्ठी मनोहर सिंह और दक्षिण वाला भट्ठी शशी सिंह का है। विगन सिंह के भट्ठी के पास एक जुट के बोरी में 5.5लीटर का पॉलिथिन में शराब का चार पोटली कुल 20लीटर, मनोहर सिंह के भट्ठी के पास जुट के बोरी में 5–5 लीटर का पॉलिथिन में देशी शराब का 3 पोटली कुल 15लीटर तथा शशी सिंह के भट्ठी के पास से 5–5 लीटर का पॉलिथिन के चार पोटली कुल 20लीटर देशी शराब बरामद किया गया। तीनों भट्ठी के पास से बड़ा–बड़ा पॉलिथिन के बैग में फुलाया हुआ पास को बर्बाद कर दिया गया तथा मिट्टी का बना चुल्हाको तोड़–फोड़ कर दिया गया। बरामद सभी देशी शराब के पोटली को दो स्वतंत्र गवाह महेन्द्र यादव पिता सीता राम यादव एवं विश्वनाथ यादव पिता गोविन्द यादव दोनों ग्राम अकोएी गोला थाना अकोढ़ी गोला जिला रोहतास के उपस्थिति में जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। जब्ती सूची पर दोनों गवाहों ने स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिया। जब्ती सूची की एक–एक प्रति घटनास्थल पर छोड़ दिया ताकि अभियुक्तों को प्राप्त हो सकें। बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी कानून लागू है और शराब बनाना एवं बेचना संज्ञेय अपराध है जिसके आधार पर आरोपित करते हुए यह काण्ड अंकित किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदकगण निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा घटनास्थल पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है तथा आरोपित आरोप आवेदकगण के विरूद्ध लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदकगण के भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ घटनास्थल से बरामद नहीं किया गया है तथा जब्ती सूची के अनुसार बरामद शराब से आवेदकगण का कोई संबंध नहीं है। आवेदकगण द्वारा न तो शराब का निर्माण किया जाता है और न ही शराब का खरीद–बिक्री किया जाता है और न ही शराब का परिवहन किया जाता है। जब्ती सूची के सभी गवाह पुलिस कर्मी हैं, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और बिना किसी विधिक साक्ष्य के

लगातार
08.09.2020 उसके विरूद्ध यह मामला दर्ज किया गया है। आवेदकगण न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र एवं धारा 438(2) द.प्र.संहिता के तहत विहित शर्त्तों का अनुपालन करने हेतु तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रोहतास सासाराम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्यचात मेरे द्वारा अभिलेख का परिशीलन किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा आवेदकगण के विरूद्ध दहियार गांव के स्कूल से करीब 700मीटर नहर किनारे आवेदक मनोहर सिंह के भट्ठी से 15 लीटर एवं आवेदक शशी सिंह उर्फ शशी कुमार के भट्ठी से 20लीटर देशी निर्मित महुआ का अवैध शराब बरामद किये जाने का आरोप है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा पूरे बिहार राज्य में शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी अवैध रूप से देशी शराब का निर्माण एवं बिक्री किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान यह दर्शाने में भी असफल रहे है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R) में लगाये गये आरोप से आवेदकगण के विरूद्ध कथित अपराध सृजन हेतु आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों वाद की प्रकृत्ति एवं लगाये गये आरोप की गम्भीरता तथा बरामद शराब की मात्रा(क्रमशः 15लीटर एवं 20लीटर) एवं उत्पाद अधिनियम के तहत किये गये अपराध के लिए धारा 76 (2) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत की पोषणीयता पर विचार करते हुए यह न्यायालय आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। तद्नुसार आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 01.07.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, रोहतास, सासाराम